मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-3

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2009 (फाल्गुन 27, 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 64 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 76 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नकाल के दौरान श्री थावरचंद गहलोत तथा श्री ध्यानेन्द्र सिंह, पूर्व मंत्रीगण की दर्शक-दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत किया गया)

(प्रदेश में व्याप्त कथित विद्युत संकट पर सदन में चर्चा न कराये जाने के विरोध में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने गर्भगृह में आकर नारेबाजी की और मोमबत्ती का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। कुछ समय पश्चात् गर्भगृह में उपस्थित प्रतिपक्ष के सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर वापस गये)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 22 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी। इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा।

सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

(1) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद की ग्राम पंचायत हासलपुर के उप स्वास्थ्य केन्द्र पर कर्मचारियों की पदस्थापना करने,

(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की प्रदेश के कृषकों को बिजली के बिल वर्ष में दो बार जमा कराने,

(3) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की भोपाल शहर के मुख्य मार्ग का फोरलेन स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य न होने,

(4) श्री पारस दादा सकलेचा, सदस्य की जावरा में रेल्वे क्रासिंग पर ओव्हर-ब्रिज बनवाये जाने,

(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की संचालक कोष एवं लेखा के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ न मिलने,

(6) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित धारा 3 को लागू न किये जाने,

(7) डॉ. महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की रतलाम जिले के ग्रामों में आदिवासी, अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार में पुलिस का सहयोग करने,

(8) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की इंदिरा सागर/अंकेश्वर परियोजना की नहरों में पानी छोड़े जाने,

(9) श्री मनीराम धाकड़, सदस्य की जौरा विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा निःशुल्क दवायें व जननी सुरक्षा योजना की राशि न दी जाने,

(10) श्री माखनलाल जाटव, सदस्य की भिण्ड जिले के गोहद क्षेत्र में विद्युत संकट होने,

(11) श्री राजकुमार उरमलिया, सदस्य की रीवा के त्यौंथर में बिजली काटी जाने,

(12) श्री रामगरीब कोल, सदस्य की रीवा के त्यौंथर में शाला भवन का निर्माण न होने,

(13) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य की जबलपुर में पेयजल संकट होने,

(14) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य की छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह तथा पन्ना जिलों में मछली बेचने-खरीदने की मंडी न होने,

(15) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की मुलताई नगर में पेयजल हेतु निर्माणाधीन पेयजल योजना का कार्य बंद होने,

(16) श्री ओंकार सिंह मरकाम, सदस्य की डिंडोरी जिले को शहडोल संभाग में शामिल करने से क्षेत्रीय जनता परेशान होने,

(17) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की डिंडोरी (मंडला) के मजदूरों को बैंक के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करने से परेशानी होने,

(18) श्री सुनील जायसवाल, सदस्य की नरसिंहपुर की करेली पंचायत में पानी की टंकी बनवाये जाने,

(19) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बधैया का उन्नयन किये जाने,

(20) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की रीवा जिले के सेमरिया क्षेत्र में स्थित टमस नदी पर पुल का निर्माण न किये जाने,

(21) श्री राव देशराज सिंह यादव एवं राव राजकुमार सिंह यादव, सदस्यगण की मुंगावली थाना अंतर्गत पेट्रोल पंप पर लूट होने तथा

(22) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की बालाघाट जिले की सेवा सहकारी समिति, जांगुटोला के पदाधिकारियों द्वारा ऋण माफी योजना में अनियमितता किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(1) क्रमांक एफ-ए-3-11-08-1 पांच (29), दिनांक 16 सितम्बर, 2008,

(2) क्रमांक एफ-ए-3-69-07-1 पांच (31), दिनांक 27 सितम्बर, 2008,

(3) क्रमांक एफ-ए-3-67-06-1 पांच (32), दिनांक 13 अक्टूबर, 2008; तथा

(4) क्रमांक एफ-ए-3-18-08-1 पांच (33), दिनांक 18 दिसम्बर, 2008,

(ख) मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-43-01-पांच(30), दिनांक 25 सितम्बर, 2008,

(ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष का (राजस्व प्राप्तियां),

पटल पर रखा।

(2) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 पटल पर रखा।

(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने -

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार, ऑप्टेल टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006,

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 तथा

(ग) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित का 45 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007

पटल पर रखे।

(4) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 254 मप्र.विनिआ/ 2009, दिनांक 31 जनवरी, 2009 पटल पर रखी।

(5) श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 पटल पर रखा।

(6) श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का प्रथम वार्षिक लेखे एवं प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 पटल पर रखे।

(7) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 83 की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (दिनांक 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के लिये) पटल पर रखे।

(8) श्री पारस जैन, राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2007-2008 पटल पर रखे।

(9) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्रमांक 24 सन् 1964) की धारा 19 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-26-2-2002-दस-3, दिनांक 6 जनवरी, 2009 पटल पर रखी।

(10) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, नर्मदा घाटी विकास ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार, नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवेलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2007-2008 पटल पर रखी।

4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 16 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुये सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम 6 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे. उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी मानी जावेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखे माने जाएंगे। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा। पहले (1) से (6) तक की सूचनाएं ली जावेंगी।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने टीकमगढ़ निवासी एक परिवार को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, अभय कुमार मिश्रा, सदस्य ने प्रदेश के अनेक जिलों में संचालित वाटर शेड कार्यक्रम में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री पारस दादा सकलेचा, सदस्य ने प्रदेश की मण्डियों में फल व सब्जी विक्रेताओं द्वारा कृषकों से मंडी शुल्क की अवैध वसूली किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. रामकृष्ण कुसमारिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य ने भोपाल शहर में भूमिगत केबल लाईन हेतु की गई खुदाई के बाद सड़कों की मरम्मत न किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) सर्वश्री लखन घनघोरिया, नारायण सिंह पट्टा, निशिथ पटेल, सदस्य ने जबलपुर के रानी अवन्तीबाई लोधी सागर परियोजना में पदस्थ अधिकारी द्वारा शासकीय दस्तावेजों में हेराफेरी किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) श्री मनीराम धाकड़, सदस्य ने जौरा क्षेत्र स्थित शक्कर कारखाने द्वारा गन्ने का भुगतान न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उपपद (7) से (16) तक के सदस्यों की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े माने गए -

(7) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की भोपाल के टी.टी.नगर क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं घटित होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(8) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की सिंगरौली सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा कृषकों को न दिये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, राजस्व का वक्तव्य।

(9) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की ग्वालियर चंबल संभाग अन्तर्गत अपर ककेटो बांध का निर्माण चयनित स्थान पर न किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(10) श्री रत्नेश सॉलोमन, सदस्य की दमोह जिले के जबेरा एवं तेंदूखेड़ा विकास खण्डों के अनेक ग्रामों से विद्युत तारों की चोरी होने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य।.

(11) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की खाचरौद क्षेत्र में केरोसिन की कालाबाजारी किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का वक्तव्य।

(12) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की शिवपुरी जिले में डकैतों द्वारा वन कर्मचारी का अपहरण किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(13) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले में भांडेर नहर प्रणाली के अंतर्गत ग्रामों में नहर का पानी न छोड़े जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(14) श्री धरमू सिंह, सदस्य की बैतूल जिला चिकित्सालय में उपयुक्त चिकित्सा के अभाव में अनेक रोगियों की मौत होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(15) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की भोपाल स्थित विधि संस्थान में की गई नियुक्तियों में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(16) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य की पन्ना जिला चिकित्सालय में एक्सपायरी डेट की दवाओं का वितरण किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के -

(क) ग्राम मडोरी, केशवगढ़ एवं लिलवारी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत सड़क निर्माण कराये जाने,

(ख) गोहद विकासखण्ड के ग्राम अजनार, सुन्दरपुरा, बड़ोखरी, घोरका एवं अमाहा में स्वीकृत मार्गों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराये जाने,

(ग) रौन तहसील के ग्राम गॉध के राम-जानकी मंदिर की भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने,

(घ) दबोह नगर के मुख्य मार्गों का निर्माण कराये जाने, तथा

(ङ) लहार नगर की मुख्य सड़कों का निर्माण कराये जाने,

(2) श्री पारस दादा सकलेचा, सदस्य की रतलाम शहर के -

(क) वार्ड नं. 20 लालजी के खेत में सरकारी ट्यूबवेल में लगी मोटर मरम्मत कराने एवं 3000 लीटर की टंकी रखाकर जल प्रदाय कराये जाने,

(ख) वार्ड नं. 20 में पटेल की बाबड़ी में निकासी के पानी को निकालने हेतु नाली निर्माण कराये जाने,

(ग) नगर निगम क्षेत्र में रतलाम से दिलीप नगर तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने एवं उस पर बिजली व्यवस्था किये जाने,

(घ) नगर के वार्ड नं. 17 में पानी की समस्या हेतु पाईप लाईन बिछवा कर पानी प्रदाय किये जाने,

(ङ) नगर के वार्ड नं. 17 में सड़क, नाली एवं पीने के पानी की समुचित व्यवस्था किये जाने,

(च) नगर के वार्ड नं. 7 में शुभम श्री कालोनी में बनी पानी की टंकी से पानी प्रदाय किये जाने,

(छ) नगर के वार्ड नं. 7, ब्लाक नं. 19/7 में व पूरे मोहन नगर में कंक्रीट रोड बनाए जाने,

(ज) नगर में अमृत सागर तालाब के निकट ग्राम मोतीनगर एवं ग्राम सागोद रोड का डामरीकरण किये जाने,तथा

(झ) नगर के माणक चौक, भुट्टा बाजार, न्यू क्लाथ मार्केट में उचित स्थान पर सुलभ कॉम्पलेक्स का निर्माण कराये जाने,

(3) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले के -

(क) खाचरोद तहसील के ग्राम श्रीवच्छ में हाई स्कूल खोले जाने,

(ख) नागदा, खाचरोद एवं महिदपुर तहसील को मिलाकर नागदा को जिला बनाये जाने,

(ग) विधान सभा क्षेत्र नागदा, खाचरोद के ग्राम छोटा चिरोला में हाई स्कूल खोले जाने,

(घ) खाचरोद तहसील के ग्राम बुरानाबाद में हाई स्कूल खोले जाने,

(ङ) तहसील नागदा में उर्दू हाई स्कूल खोले जाने,

(च) खाचरोद तहसील के ग्राम बडागांव में कन्या हाई स्कूल खोले जाने, तथा

(छ) खाचरोद तहसील के ग्राम निपानिया में हाई स्कूल खोले जाने, एवं

(4) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य की खण्डवा जिले के -

(क) खण्डवा जिले के भूतपूर्व सैनिकों को भूखण्ड प्रदाय कर स्वामित्व प्रदाय किये जाने तथा

(ख) खण्डवा जिले के ग्राम जसवाड़ी से गांधव (व्हाया खिडगांव) तक पक्की सड़क निर्माण किये जाने,

संबंधी याचिकाएं सदन में प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 5 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने बताया कि इसमें निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित किया गया है :-

"राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम के अंतर्गत पहले सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत तीन प्रतिशत तक हम बाजार से कर्ज ले सकते थे।अब केन्द्र सरकार ने यह सीमा बढ़ाकर साढ़े तीन प्रतिशत कर दी है। अतः इसकी धारा 9 (2) में यह संशोधन प्रस्तावित है कि 'तीन प्रतिशत' के स्थान पर 'साढ़े तीन प्रतिशत' किया जाए। माननीय सदस्यगण यह संशोधन स्वीकार करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 5 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

7. वर्ष 2009-2010 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा

वर्ष 2009-2010 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सरताज सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

(2) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी (भाषण अपूर्ण)

(अपराह्न 1.02 बजे से 2.35 तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने अपना भाषण पूर्ण किया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(3) श्री पारस दादा सकलेचा
(4) श्री शंकरलाल तिवारी
(5) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी
(6) डॉ. गोविन्द सिंह

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

8. वर्ष 2009-2010 के लेखानुदान की मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि परम्परानुसार लेखानुदान तथा इससे संबंधित विनियोग विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित कर दिये जाते है क्योंकि संपूर्ण बजट के आने पर चर्चा का अवसर सदस्यों को मिलता ही है।

सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि -

"दिनांक 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में प्रथम चार माह के प्राक्कलित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को राज्य की संचित निधि में से कुल तेरह हजार, एक सौ बत्तीस करोड़, चार लाख, चौरासी हजार रुपये की धनराशि जिसमें बजट अनुमान वर्ष 2009-2010 के लिए लेखानुदान की मांगों तथा विनियोगों की अनुसूची के स्तंभ 6 में दी हुई राशि स्तम्भ 2 में निर्दिष्ट मांगों के लिये सम्मिलित हैं, लेखानुदान के रूप में दी जावें".

लेखानुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 (क्रमांक 7 सन् 2009) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 (क्रमांक 7 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

10. वर्ष 2008-2009 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि सदन की परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है, अतः वित्त मंत्री सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत कर दें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि -

" दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 55, 56, 64, 65, 66, 67, 75 तथा 80 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दस सौ पचहत्तर करोड़, सड़सठ लाख, सोलह हजार, छः सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(2) श्री अजय विश्नोई
(3) श्री पारस दादा सकलेचा
(4) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(5) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(6) डॉ. गोविन्द सिंह
(7) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री (भाषण अपूर्ण)

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि कार्यसूची में अंकित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाती है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

11. औचित्य के प्रश्न पर अध्यक्षीय व्यवस्था

(1) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान श्री सज्जन सिंह वर्मा, उपनेता प्रतिपक्ष द्वारा औचित्य का प्रश्न उठाया गया कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी तृतीय अनुपूरक बजट की बहस का जबाव दे रहे है।

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि सदन के नेता सदन में चलने वाली किसी भी चर्चा में अपना पक्ष रख सकते है। अनुपूरक मांगों पर चर्चा के दौरान विपक्ष के साथियों ने बिजली की समस्या पर अपने विचार रखे है। अतः मुख्यमंत्री जी का नैसर्गिक अधिकार है कि वे शासन का पक्ष रखें।

(2) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर चर्चा में कोई भी मंत्री भाग ले सकता है परन्तु चर्चा के उत्तर के लिए वित्त मंत्री ही जिम्मेदार है, अन्य कोई मंत्री बजट की चर्चा का उत्तर नहीं दे सकता है।

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि यह सर्वविदित है कि नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता को कभी भी हस्तक्षेप करने का नैसर्गिक अधिकार है। सारी चर्चाएं होती है, उसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखते है और उसके बाद सदन के नेता भी अपनी बात रखते हैं। इसीलिए मैं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी एवं श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्यगण के इन तर्कों को अमान्य करता हूँ कि अनुपूरक अनुमान चूंकि वित्त मंत्री ने रखा है तो वे ही सब जबाब दें। अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रखने की अनुमति देता हूँ।

(श्री सज्जन सिंह वर्मा, उपनेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा सदन के नियमानुसार नहीं चलने की बात कहते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया)

12. वर्ष 2008-2009 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान (क्रमशः)

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने भाषण पूर्ण किया।

(8) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
(9) डॉ. प्रभुराम चौधरी
(10) राव उदय प्रताप सिंह
(11) श्री रामलखन सिंह
(12) श्री श्रीकांत दुबे
(13) श्री देवेन्द्र वर्मा
(14) श्री ओमकार सिंह तोमर
(15) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(16) श्री सुनील जायसवाल
(17) श्री मनोहर ऊंटवाल
(18) श्री अभय कुमार मिश्रा
(19) श्री हेमराज सिंह

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2009 (क्रमांक 6 सन् 2009) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2009 (क्रमांक 6 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

14. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर, निम्नानुसार उद्‌गार व्यक्त किये गये:-

"त्रयोदश विधान सभा का यह द्वितीय सत्र आज समापन की ओर है। इस संक्षिप्त सत्र में सदन की तीन बैठकें हुई किंतु लोकहित के अनेक मामले, वित्तीय कार्य और विधायी कार्य निपटाए गए।

इस सत्र में कुल 1019 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 609 तारांकित और 410 अतारांकित थे। कुल 58 याचिकाएं प्राप्त हुई। ध्यानाकर्षण की कुल 184 सूचनाएं प्राप्त हुई । इस सत्र में 3 विधेयक पारित हुए। सभा ने वर्ष 2009-2010 के लेखानुदान की मांगों और वर्ष 2008-2009 की तृतीय अनुपूरक मांगों को अपनी स्वीकृति प्रदान कीं । प्रदेश में पेयजल संकट पर नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की, विचार रखे और सार्थक उपाए सुझाए।

संसदीय लोकतंत्र में विधायी सदनों की सार्थकता और उपादेयता इसी बात में है कि वह नागरिकों के कष्टों को दूर करें और उनकी भलाई और सुविधा की दिशा में प्रतिबद्ध और संकल्पित हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि त्रयोदश विधान सभा में भी ऐसे जनप्रतिनिधि आए हैं जो पूर्ववर्ती विधान सभाओं और उनके सदस्यों द्वारा स्थापित मानदंडों को और दृढ़ता प्रदान करेंगे। यह सुखद संयोग है कि कई बार के निर्वाचित सदस्यगण भी अत्यंत संवदनशील होकर और सजगता से जनकल्याण के लिए प्रयासरत हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि संसदीय व्यवस्था अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के हित संवर्द्धन के लिए सक्षम है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि जनता के हितों के लिए हम सदैव समर्पित रहते हैं। हमारे प्रजातंत्र का मूल मंत्र भी यही है।

इस सत्र में सहयोग के लिए मैं सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष, माननीय मंत्रीगण, माननीय उपाध्यक्ष, सभापति तालिका के सदस्यगण और सभी माननीय सदस्यों का आभार मानता हूँ। मैं विधान सभा तथा शासन के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सुरक्षाकर्मियों को भी धन्यवाद् देता हूँ।

मैं सभी मीडिया कर्मियों, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सदन की पल पल की कार्यवाही को आमजनों तक पहुंचाने में अहम् भूमिका का निर्वाह किया।

अगले सत्र में हम सब पुनः समवेत होंगे। मैं अपनी ओर से आप सबको तथा अपनी और पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को गुड़ी पड़वा और चैती-चांद की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्री सज्जन सिंह वर्मा, उपनेता प्रतिपक्ष, श्री हरवंश सिंह, उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामलखन सिंह, सदस्य तथा श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने भी समापन भाषण पर अपने विचार प्रकट किए।

15. राष्ट्रगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान **"जन-गण-मन"** का समूह गान किया गया।

अपराह्न 6.18 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.